

परिचय

भारत जैवविविधता के मामले में सर्वाधिक समृद्ध देशों में से एक है, और यहां 15 एग्रो-क्लाइमेट ज़ोन (कृषि-जलवायु क्षेत्र) हैं। फूलों के पौधों की लगभग 17000-18000 प्रजातियों में से 7000 से अधिक के बारे में माना जाता है कि उनका उपयोग आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष औषधीय प्रणाली) के जैसी लोक व प्रलेखित औषधीय प्रणालियों में औषधीय रूप में किया जाता है।

औषधीय पौधे न केवल पारंपरिक चिकित्सा और हर्बल उद्योग के लिए एक प्रमुख संसाधन आधार हैं, बल्कि भारतीय आबादी के एक बड़े हिस्से को आजीविका और स्वास्थ्य सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। औषधीय पौधों की लगभग 1178 प्रजातियों के व्यापार का अनुमान है, जिनमें से 242 प्रजातियों का वार्षिक उपभोग स्तर 100 मीट्रिक टन/वर्ष से अधिक है। वर्ष 2014-2015 के लिए औषधीय पौधों की घरेलू मांग 1,95,000 मीट्रिक टन और 2014-2015 के दौरान औषधीय पौधों की निर्यात मांग 1,34,500 मीट्रिक टन अनुमानित की गई है। वर्ष 2014-15 के लिए देश में हर्बल कच्ची दवा की कुल खपत ₹5,500 करोड़ के व्यापार मूल्य वाली 5,12,000 मीट्रिक टन आंकी गई है। निर्यात मूल्य में एक बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है जो 2005-06 के ₹345.80 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹3211 करोड़ हो गई है, जो पिछले दशक की तुलना में नौ गुना अधिक है।

औषधीय पौधों में अच्छे कृषि और क्षेत्र संग्रह प्रथाओं (GAP और GFCP) को प्रोत्साहित करने व इन पौधों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड (NMPB), ने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया (QCI) के सहयोग से वॉयलेटरी सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर मेडिसिनल प्लांट प्रोड्यूस (VCSMPP) की शुरुआत की है। यह क्यूसीआई योजना के दैनिक संचालन का प्रबंधन करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम गतिविधियों पर आधारित यह योजना एक बहु-हितधारक संचालन समिति द्वारा संचालित है और इसने अच्छी कृषि व क्षेत्र संग्रहणकी गतिविधियों के लिए डब्ल्यूएचओ दिशानिर्देशों को अपने प्रमाणन मानदंड का आधार बनाया है। प्रमाणन की प्रणाली अंतरराष्ट्रीय मानक, ISO 17067 में प्रदान किए गए दिशानिर्देशों पर आधारित है, जो दुनिया भर में उत्पाद प्रमाणन योजनाओं के विकास को निर्देशित करती है और योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रमाणन निकायों को अंततः अंतर्राष्ट्रीय मानक, ISO17065 के अनुसार नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडीज़ (NABCB) द्वारा प्रमाणित की जाएगी, जो QCI का एक घटक बोर्ड है। चूंकि NABCB ने अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन फोरम (IAF) की बहुपक्षीय पारस्परिक मान्यता व्यवस्था पर हस्ताक्षर करके उत्पाद प्रमाणन निकायों के लिए अपने मान्यता कार्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समकक्षता प्राप्त की है, जो द्विपक्षीय या क्षेत्रीय व्यापार समझौतों के माध्यम से देशों के बीच माल के मुक्त प्रवाह का आधार बन रहा है, इसलिए इसके विश्व बाजार में भारत के औषधीय पौधों के निर्यात को सुविधाजनक बनाने की उम्मीद है।

यह आशा की जाती है कि इस योजना से न केवल जड़ी-बूटियों के काश्तकारों या संग्रहकर्ताओं को लाभ होगा, बल्कि सुनिश्चित गुणवत्ता वाले कच्चे माल, व्यापारियों और जड़ी-बूटियों के अन्य उपयोगकर्ताओं और अंततः हर्बल आधारित उत्पादों के उपभोक्ताओं की आपूर्ति के साथ आयुष उद्योग को भी लाभ होगा।